

	<p>नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी) <b>केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़</b> जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p><b>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED</b> (A Government of India Undertaking Miniratna Company) <b>CENTRAL STATE FARM, SURATGARH</b> Distt:- SriGanganagar Phone No.: 01509-223873 Email ID-ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>
---	--	---

सी.एस.एफ./ सूरतगढ़ / 2-65 / कृषि / 2021-22 /

दिनांक :- 03.02.2022.

### अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राज.) में रबी 2021-2022 में बोई गई सरसों 2191.00 एकड़, तोरिया 125.00 एकड़ व चना 4531.50 एकड़ की कटाई श्रेसिंग करने हेतु सीलबन्द निविदायें/खुली बोली चकवार ब्लॉकवार दिनांक 08.02.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक आमत्रित की जाती है, उसी दिन सांय 2.30 बजे कमेटी द्वारा खुलीबोली करवाने के बाद प्राप्त निविदाएं खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, निविदा के दिन दोपहर 12.00 बजे तक कृषि संभाग, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ से, धरोहर राशि रूपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक के लिए और निविदाफार्म शुल्क रू. 236/- डी.डी./RTGS/NEFT के द्वारा **“NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH”** के पक्ष में जमा कर प्राप्त किए जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड की जा सकती है। सफल बोली दाता/ निविदा दाता को छोड़ी गई फसल की बोली/ निविदा दर की 25 प्रतिशत रकम कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करानी होगी, तथा असफल बोलीदाता की राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना स्थायी पता के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड / पैन कार्ड की प्रति देनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)

## निविदा प्रपत्र

निदेशक,  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

रबी 2021-2022 की फसलों की हाथ से कटाई / गहाई के लिए टेन्डर दिनांक 01.02.2022.

**कार्य का विवरण :-** खेतों की खड़ी फसल को काटना इकट्ठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर तक पहुंचाना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होने तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगे बाहर नहीं जायेगा।

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	फसल का बिजार्ड क्षेत्र (एकड़ में)	दर प्रति एकड़ रूपयों में	
			ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
<b>सरसों फसल</b>				
ब्लाक 1	38 STG	228.00		
	40 STG	116.00		
	42 STG	282.00		
	44 STG	220.00		
	BRP-I	124.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>970.00</b>		
ब्लाक 2	RPM-1	58.00		
	RPM-2	108.50		
	RPM-3	43.00		
	RPM-4	200.00		
	31 A PBN	89.00		
	31 B PBN	150.00		
	33 PBN	63.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>711.50</b>		
ब्लाक 3	34 PBN	165.50		
	3 SGM	124.00		
	4 SGM	220.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>509.50</b>		
<b>G.TOTAL</b>		<b>2191.00</b>		

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....  
नाम व पूरा पता:.....  
.....  
मोबाईल न0.....  
निविदादाता का बैंक खाता संख्या  
IFSC CODE/BRANCH NAME .....

## निविदा प्रपत्र

रबी 2021-2022 की फसलों की हाथ से कटाई / गहाई के लिए टेन्डर दिनांक 01.02.2022.

**कार्य का विवरण :-** खेतों की खड़ी फसल को काटना इकट्ठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर तक पहुँचाना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होने तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगे बाहर नहीं जायेगा।

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	फसल का बिजाई क्षेत्र (एकड़ में)	दर प्रति एकड़ रूपयों में	
			ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
<b>तोरिया फसल</b>				
ब्लाक 1	38 STG	75.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>75.00</b>		
ब्लाक 3	3 SGM	24.00		
	4 SGM	26.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>50.00</b>		
<b>G.TOTAL</b>		<b>125.00</b>		
<b>चना फसल</b>				
ब्लाक 1	35 STG	240.00		
	37 STG	474.00		
	38 STG	293.00		
	40 STG	300.00		
	BRP-I	197.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>1504.00</b>		
ब्लाक 2	RPM-1	535.00		
	RPM-2	485.00		
	RPM-3	218.00		
	RPM-4	345.00		
	31 A PBN	182.00		
	31 B PBN	325.00		
	33 PBN	269.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>2359.00</b>		
ब्लाक 3	34 PBN	422.50		
	3 SGM	79.00		
	4 SGM	167.00		
<b>TOTAL :-</b>		<b>668.50</b>		
<b>G.TOTAL</b>		<b>4531.50</b>		

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....  
नाम व पूरा पता:.....  
.....  
मोबाईल न0.....  
निविदादाता का बैंक खाता संख्या  
IFSC CODE/BRANCH NAME .....

**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**  
**केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)**

**रबी 2021-22 फसलों की कटाई के लिए नियम एवं शर्तें**

1. सफल निविदा दाता/बोलीदाता को रूपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक व फसल के लिए धरोहर राशि के रूप में डी.डी./RTGS/NEFT के द्वारा **“NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH”** के पक्ष में जमा कराना होगा।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पता के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड / पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य हैं।
3. **सफल बोली दाता/ निविदा दाता को कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर रूपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से अमानत राशि के रूप में फार्म खाते में जमा कराना होगा। सफल बोली दाता/ निविदा दाता के द्वारा पूर्व में जमा धरोहर राशि अमानत राशि के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जमा अमानत राशि को कार्य सन्तोषजनक ढग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। आवंटित क्षेत्र की 25 प्रतिशत राशि कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करानी होगी शेष 75 प्रतिशत राशि थ्रेसिंग शुरू करने से पहले जमा करानी होगी। रकम जमा नहीं कराने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। असफल बोली दाता को राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी।**
4. निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख का होगा।
5. सरसों/तोरिया, तारामीरा व चना फसलों की कटाई के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होंगे, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होंगे, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई सरसों को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा।
7. सरसों/तोरिया व तारामीरा की थ्रेसिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से व चने की थ्रेसिंग फार्म कम्बाईन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा।
8. अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोडिंग सेन्टर पर पहुचाना होगा। संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी।
9. ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा। नीरा साय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करने पर ठेकेदार चैक कराने से मना नहीं कर सकेगें।
10. कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
12. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
13. फसलों की कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

14. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्च से खरीद कर ,सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।
15. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकादर द्वारा वहन किया जाएगा फार्म लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
16. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
17. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
18. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
19. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

.....

निविदादाता के हस्ताक्षर